

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020 — अग्रहायण 6, शक 1942

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-44/2014/32.— छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क 19 सन् 2012) की धारा 13-क की उपधारा (1) सहपठित धारा (6) की उप-धारा (3) एवं (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति, अर्हता तथा पदावधि) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 के उप-नियम (5) लोप किया जाये।

No. F 1-44/2014/32.— In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 13-A read with sub-section (3) and (7) of Section 6 of the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Rent Control Tribunal (Appointment, Qualification and Term of Members) Rules, 2016 namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

Sub-rule (5) of rule 3 shall be Omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.